रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2008/पौष 11, 1929
No. 2] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2008/PAUSA 11, 1929

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 2(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 8 और धारा 9 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में,— नियम 66 के उप-नियम (2) के दूसरे परंतुक में "अपने व्यक्तिगत लम्बी अवधि के चिकित्सीय उपयोग के लिए एक समय में एक सौ खुराक यूनिट से अधिक" शब्दों के पश्चात् और "मात्रा रख-सकेगा" से पूर्व "किन्तु एक समय में तीन सौ खुराक से अनधिक" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. I/14/2007-एन.सी. II]

भगवान सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 837(अ) तारीख 14 नवंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार सा.का.नि. 639(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2006 द्वारा संशोधित की गई ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2008

G.S.R. 2(E).—In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Sections 8 and 9 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in the second proviso to sub-rule (2) of Rule 66, after the words "the quantity of exceeding one hundred dosage units at a time" and before the words "for his personal long term medical use", the words "but not exceeding three hundred dosage units at a time" shall be inserted.

[F. No. I/14/2007-NC. II]

BHAGWAN SINGH, Under Secy.

Foot Note: Principal Notification was published in the Gazette of India *vide* G.S.R. 837(E), dated 14th November, 1985 and last amended *vide* G.S.R. 639(E), dated 13th October, 2006.

9 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.